न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ठेकड़ा बनाम रामदयाल S/o समन्दर जाट
रानोता

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :- RA/31/22 निर्णय दिनाँक :- 13/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम .... की आ॰ख॰न॰ 112 कुल रकबा 3.00 किस्म जमीन गैरमु0 तलाई मे से 0-02 रकबे पर श्री रामदयाल S/o समन्दर जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर .... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ठेकड़ा द्वारा दिनाँक 6/5/22 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ दारोदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रामदयाल S/o समन्दर जाति जाट निवासी रानोता को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... रामदयाल उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 112 रकबा 3.00 में से 0-02 रकबे किस्म गैरमु0 तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वौरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 paise का 50 गुणा 19/- उन्नीस रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ठेकड़ा भू॰अ॰निरी॰ .... दारोदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)